प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल हेतु भूमि के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2419/ई/रिम्सएण्डआर/बजट/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-2583/71-2-2013-एस-48/2012 दिनांक 25-7-2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल हेतु भूमि के क्रय हेतु रू0 20,60,37,672/- (रूपया बीस करोड साठ लाख सैतीस हजार छः सौ बहत्तर मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) भूमि क्रय हेतु प्रश्नगत धनराशि को प्रायोजना की लागत में सम्मिलित किया जायेगा।
2) भूमि क्रय के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3) निदेशक संस्थान द्वारायह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
5) संस्थान द्वारा वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च 2015 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
7) संस्थान द्वारा अपनी प्राप्तियों से वहन की जाने वाली धनरशि रू0 5,26,75,750/- को राजकोष के प्राप्ति शीर्ष "0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रकीर्ण प्राप्तिया" में जमा किया जायेगा।
8) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/566/दस-2016, दिनांक 30 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( संजय कुमार उपाध्याय )
संयुक्त सचिव।

संख्या- 54/2016/1416(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) जिलाधिकारी, इटावा।
3) कोषाधिकारी, इटावा।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
7) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( नीलेश कुमार सिंह )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।